बिहार सरकार

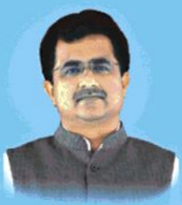

श्री नीतीश मिश्रा
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार

श्री जीतन राम मांझी
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

ग्रामीण विकास विभाग

इंदिरा आवास के लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरण का प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम

15 नवम्बर 2014 (शनिवार)

इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के लिए इस वर्ष पूरे राज्य में एक ही दिन दिनांक 15.11.2014 (शनिवार) को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इंदिरा आवास के लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खाता में पहली बार RTGS/NEFT के माध्यम से की जायेगी।

लाभार्थीगण कृपया निम्न बातों पर ध्यान दें

- इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर आरोही क्रम में किया जाता है।
- इंदिरा आवास की स्वीकृति के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती है। अत: लाभुक दलालों एवं बिचौलियों से सावधान रहें।
- लाभुकों को इंदिरा आवास की स्वीकृति एवं सहायता राशि उपलब्ध कराने तथा आवास निर्माण में अपेक्षित सहयोग के लिए पंचायत स्तर पर 'ग्रामीण आवास सहायक' तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के अतिरिक्त 'ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक' कार्यरत हैं।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में सहायता राशि दो बराबर किश्तों में दिया जाना है। प्रथम किश्त के रूप में सामान्य जिला के लिए रु. 35,000 (पैंतीस हजार रुपये) एवं चिन्हित नक्सल प्रभावित जिलों यथा- औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण के लिए 37,500 (सैंतीस हजार पांच सौ रुपये) अनुमान्य है।
- प्रथम किश्त की राशि इंदिरा आवास एवं शौचालय का लिंटल लेवल तक मकान का निर्माण तथा द्वितीय किश्त की राशि से इंदिरा आवास एवं शौचालय का छत निर्माण कार्य एवं मकान को पूर्ण (Finishing) किया जाना होगा।
- प्रथम किश्त की सहायता राशि का उपयोग कर लेने के बाद ग्रामीण आवास सहायता की अनुशंसा पर लाभुकों को द्वितीय किश्त की सहायता राशि बैंक खाता में अंतरित की जायेगी।
- लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि में से प्रथम चरण में 20,000 (बीस हजार) रुपये लाभुक द्वारा स्वत: निकासी की जायेगी। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक कार्य प्रगति में लाने पर ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा पर शेष राशि की निकासी की जा सकेगी।
- द्वितीय किश्त की राशि में से प्रथम चरण में 25,000 रुपये लाभुक स्वत: निकासी कर सकेंगे तथा राशि का उपयोग छत निर्माण कार्य पर करेंगे। छत निर्माण कार्य होने पर ग्रामीण आवास सहायक की अनुशंसा पर अवशेष राशि की निकासी कर सकेंगे।
- बैंक से चरणबद्ध तरीके से राशि निकासी करने के लिए लाभुक को प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम Stop Payment का आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में देना है।
- लाभुकों को इंदिरा आवास का निर्माण स्वयं करने के लिए मनरेगा योजना के तहत सामान्य जिलों में 90 (नब्बे) दिन एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों में 95 (पंचावने) दिन के लिए अकुशल मजदूर के लिए तत्समय निर्धारित मजदूरी दर के आधार पर भुगतान भी अनुमान्य है। इस हेतु रोजगार सेवक से सम्पर्क करें।
- इंदिरा आवास के लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण के साथ-साथ शौचालय का निर्माण कराना आवश्यक है। शौचालय निर्माण एवं जल की उपलब्धता तथा सफाई के लिए अतिरिक्त 12,000 (बारह हजार) रुपये स्वच्छ भारत अभियान से प्रदान किये जायेंगे।
- द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त करने के 2 (दो) माह के अन्दर आवास निर्माण पूर्ण करने वाले महादलित परिवारों को 'मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना' के तहत 2,000 (दो हजार) रुपये अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप लाभुक के बैंक खाता में अंतरित की जायेगी।
- लाभुकों को आवास का निर्माण सहायता राशि प्राप्ति के छ: माह के भीतर पूर्ण कर लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नही करने पर लाभुक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है तथा सम्पूर्ण सहायता राशि की वसूली भी की जा सकती है।
- इंदिरा आवास के लाभार्थी मकान के आगे एवं पीछे फलदार वृक्ष (विशेष रूप से नींबू एवं सहजन) लगावें।

अधिक जानकारी के लिए
टॉल फ्री नं.-18001208001 पर सम्पर्क करें।

सू.ज.स.वि.-7989 स.(ग्रा.वि.) 14-15, बिहार